



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा ।

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा में ठेकेदारों के वर्ष 2018-19 में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु अर्ह पाये गये जिन ठेकेदारों/फर्मों द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है उन्हें इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 11.10.2018 तक वाछिंत शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कर रसीद सहायक अभियन्ता (तकनीकी) कार्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा की स्थिति में उनके पंजीकरण/नवीनीकरण स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे एवं उक्त ठेकेदार/फर्म प्राधिकरण की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

मुख्य अभियन्ता

आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

पत्रांक:- 807/डी/सहा0अभि0(तक0)/18

दिनांक:- 04/10/2018

प्रतिलिपि:-

प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना किन्हीं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रति तीन दिवस के अन्दर सहायक अभियन्ता (तकनीकी) कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता

आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा